रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012020-215481
CG-DL-E-16012020-215481

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2020/पौष 25, 1941
No. 193] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2020/PAUSHA 25, 1941

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 जनवरी 2020

का.आ. 203(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग) के आदेश संख्यांक का.आ. 2792(अ), तारीख 5 अगस्त, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् निम्नलिखित आदेश करती है,अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और लागू होना :** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एनिलिन (मानक नियंत्रण) आदेश, 2019 है ।

   (2) ये 3 अगस्त, 2020 से प्रवृत्त होगा ।

2. **मानक चिह्नन का अनिवार्य उपयोग** नीचे सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूप निर्धारण) विनियम, 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्नन होगा :

   परंतु इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए बनाई गई उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं के संबंध में लागू नहीं होगी, जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित विर्निदेश के अनुरूप है ।

3. **प्रमाणीकरण और प्रर्वतन प्राधिकरण.—** इस आदेश के अधीन मानक चिह्नन की अनुरूपता को प्रमाणित और प्रवर्तित करने के लिए प्राधिकारी होगा ।

4. **उल्लंघन के लिए शास्ति—** इस आदेश के उपबंधों का कोई उल्लंघन भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 29 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन विहित दंड का दायी होगा ।

सारणी

माल या वस्तुएं	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
एनिलिन	आई एस 2833 : 2019	एनिलिन तकनीकी- विनिर्देश

[फा. सं. 13012/9/2018-सी एच-11]
समीर कुमार विश्वास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 15th January, 2020

S.O. 203(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals) number S.O. 2792(E), dated the 5th August, 2019 except as respect things due or omitted to be done before such supersession, the Central Government, being of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau of Indian Standards hereby makes the following Order, namely:-

1. **Short title, commencement and application. -** (1) This Order may be called the Aniline (Quality Control) Order, 2019.

   (2) It shall come into force with effect from the 3rd day of August, 2020.

2. **Compulsory use of Standard Mark. -** Goods or articles specified in the column (1) of the table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in column (2) of the said table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards granted as per Scheme-I of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

   Provided that nothing in this Order shall apply in relation to goods or articles specified in column (2) of the said table meant for export, which conform to the specification required by the foreign buyer.

3. **Certification and enforcement Authority. -** The Bureau of Indian Standards shall be the authority to certify and enforce conformity to the Standard Mark under this Order.

4. **Penalty for Contravention. -** Any contravention of the provisions of this Order shall attract the punishment prescribed under sub-section (3) and sub-section (4) of section 29 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

Table

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Aniline	IS 2833:2019	Aniline, Technical-Specification

[F. No. 13012/9/2018- Chem. II]
SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.16 20:09:22 +05'30'